Bench of Kerala High Court at Trivandrum

204. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a final decision regarding the setting up of a bench of Kerala High Court at Trivandrum is pending with the Government for a long time; and
- (b) if so, the reasons for the delay in taking a decision and what steps Government propose to take to fulfil this demand?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a)
The State Government sent a proposal for the establishment of a Bench of the Kerala High Court at Trivandrum in September, 1971.

(b) The state Government were addressed in July 1973 for completing certain statutory consultations. No. reply has been received.

A memorandum was received very recently from the Kerala Janatha Lawyers. Forum for the establishment of a Bench at Trivandrum. This has been forwarded to the State Government.

Extension of Broad Gauge Line from Kalka to Parvanu

205. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether a representation has been made to the Railway Ministry for extending broad gauge line from Kalka to Parvanu and beyond Pathankot on Kangra-Jogindernagar line;
- (b) whether it is a fact that Parvanu is an Industrial centre of Himachal Pradesh and maximum booking of goods is done from Parvanu; and

(c) if so, what action Railway administration has taken in extending Railway broad gauge from Kalka to Parvanu and beyond Pathankot on Pathankot-Jogindernagar line?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Yes.

(c) A Preliminary Engineering-cum-Traffic survey for construction of a BG rail link from Kalka to Parvanu (6.575 Kms) carried out during 1970, revealed that the project would cost Rs. 2.36 crores (at 1970 price level) and was not found financially viable (return being 0.01 per cent). Due to constraint of resources, it severe has not been possible to undertake the construction of the proposed rail The question of taking up the construction of this link would depend upon the availability or reand its clearance by sources Planning Commission.

No investigations for the conversion of Pathankot-Joginder Nagar N. G. line into B. G. have been carriout in the past.

राजस्थान में रेल फाटक

206. श्री दौलत राम सारण: क्या रेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजस्थान के चुरु, नागौर, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों में रेल लाइनों पर इन रेल लाइनों के दोनों म्रोर गांवों तथा कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों की सुविधा के लिए कोई रेल फाटक नहीं है जिसके परिणामस्वरुप इन लोगों को बड़ी ग्रसुविधा होती है क्योंकि मोटर गाड़ियों, बैल गाड़ियों तथा ऊंट गाड़ियों को एक म्रोर से दूसरी ग्रोर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;
- (ख) क्या इन गांवों के प्रभावित लोग, पंचायत, पंचायत समितियां तथा उस क्षेत्र के

निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रमने भ्रावेदन पत्न, भ्रभ्यावेदन, प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहे हैं भीर रेल मंती, रेलवे बोर्ड तथा जोधपुर भीर बीकानेर के रेल भ्रष्टिकारियों के पास भ्रपने प्रतिनिधि मंडल भेजते रहे हैं;

- (ग) क्या श्रनेक गांवों के लोगों ने रेल अधिकारियों के कहने पर रेल फाटकों पर होने वाले व्यय की राशि भी जमा करा दी है;
- (घ) क्या कुछ गांवों द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी राशि को उसे कई वर्ष अपने पास रखने के बाद उन्हें लौटा दी गई है; और
- (ङ) इस गम्भीर समस्या को कब तक हल किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायल): (क) इस क्षेत्र में लगभग 400 समपार वाहन यातायात के लिए उपयुक्त हैं। इसके म्रतरिक्ति 400 "डी" श्रेणी के मवेशी समपार भी हैं जो पैदल तथा मवेशी यातायात के लिए बनाए गए हैं। यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए "डी" श्रेणी के कुछ मवेशी समपारों को वाहन यातायात के लिए उपयुक्त नियमिद समपार में बदलने की म्रावश्यकता है।

- (ख) "डी" श्रेणी के मवेशी समपारों को वाहन यातायात के लिए उपयुक्त नियमित समपार में बदलने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्तहुए हैं।
- (ग) जी हां, कुछ मामलों में "डी" श्रेणी के समपारों को वाहन यातायात के लिए उपयुक्त नियमित समपारों में बदलने के लिए कुछ मामलों में पंचायतों ने धन जमा किये थे। ऐसे मामलों में रेलवे ने समपारों का ग्रेड ऊंचा करने का काम पहले ही कर दिया है।
- (घ) जी नहीं, केवल एक मामले को छोडकर जिसमें धन वापस कर दिया गया था

क्योंकि सड़क भीर रेल दोनों ही यातायात के लिए सीमित इश्यता के कारण रेल संरक्षा के अपर आयुक्त नियमित समपार की व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुए थे।

(ङ) वर्तमान नियमानुसार, "डी" श्रेणी समपार को वाहन यातायात के उपयोग के लिए उपयक्त नियमित समपार (बिना चौकी-दार वाला / चौकीदार वाला) में बदलने पर ग्राने वाला प्रारम्भिक खर्चे तथा ग्रावर्ती/ ग्रनुरक्षण खर्च राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः वहन करना अपेक्षित है। ग्रतः रेलवे ने ऐसे मामलों में होने वाले खर्च को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को इस मामले का उल्लेख कर दिया है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है भौर उन से इस मामले पर वातचीत चल रही है। ज्योंही राज्य सरकार खर्च वहन करने की ग्रपनी सहमति प्रदान कर देगी ग्रौर धन जमा कर देगी त्योंही रेलवे उन "डी" श्रेणी के समपारों को वाहन यातायात के लिए उपयक्त नियमित समपारों में बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी।

Ex-gratia Payment to RailWaymen

207. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the proposal for exgratia payment to Railwaymen was under consideration of Government;
 and
- (b) if so, whether the proposal has been turned down?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The proposal for ex-gratia payment to Railwaymen as a token of appreciation of their significant performance since April 1977 was explored.